न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 54/2025

अपीलार्थी–

ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति विश्नोई जांगुओं की ढाणी, उपरला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

<u>बनाम</u>

उत्तरदाता–

1. जिला रसद अधिकारी बाडमेर
2. सरस्वती पुत्री श्रीराम जाति विश्नोई निवासी उपरला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध आदेश क्रमांक प.15(24)(2)रसद/2025/696 निर्णय दिनांक 10.10.2025 जो मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री मांगीलाल कड़ेला, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. उत्तरदाता संख्या 01 स्वंय उपस्थित।
3. उतरदाता संख्या 02 स्वंय उपस्थित।

<u>आदेश</u>

दिनांक : 17.12.2025

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22(ए) के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा आदेश क्रमांक प. 15(24)(2)रसद/2025/696 दिनांक 10.10.2025 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 03.11.2025 को पेश की गई है।

प्रस्तुत अपील के [illegible] जिला कलक्टर (रसद) बाड़मेर द्वारा दिनांक 13.06[illegible] 02/2025 जारी कर पोश कोड़ 13200 पर ग्राम [illegible] चौहटन जिला बाड़मेर [illegible] डीलर के रिक्त पद हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी। उक्त विज्ञप्ति के

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:56:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाडमेर

अनुसरण में अपीलांट व अन्य अभ्यार्थियों ने उचित मूल्य दुकान उपरला में उचित मूल्य दुकानदार के पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये। जिसमें उचित मूल्य दुकान उपरला में राशन डीलर के पद पर उच्च योग्यता के आधार पर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा जांच कर अपीलकर्ता का चयन कर दिया गया। उसके बाद दिनांक 10.10.2025 अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत योग्यता संबधी दस्तावेजो को अनदेखा कर उतरदाता संख्या 1 द्वारा उतरदाता संख्या 2 का आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए कार्यालय आदेश क्रमांक प. 15(24)(2)रसद/2025/696 दिनांक 10.10.2025 के द्वारा राजस्व ग्राम ग्राम उपरला तहसील चौहटन की उचित मूल्य दुकान डीलर हेतु चयन किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील हमारे समक्ष दिनांक 03.11.2025 को प्रस्तुत की गई।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि उचित मूल्य दुकान उपरला जो कि महिला हेतु पद आरक्षित नही होते हुए भी उतरदाता संख्या 02 के राजनैतिक प्रभाव में आकर अपीलकर्ता की उच्च योग्यता को दरकिनार करते हुए चयन आलौच्य आदेश दिनांक 10.10.2025 को पारित किया है जो कि प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि उतरदाता संख्या 02 ने तलाकसुदा महिला का हवाला दिया है जबकि उचित मूल्य दुकान की विज्ञप्ति मे तलाकसुदा महिला होने के संबंध में कोई छूट का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति मे उतरदाता संख्या 02 द्वारा ल[illegible] सम्पूर्ण आरोप गलत एवं निराधार है। अतः उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय [illegible] सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है जो निरस्त [illegible] हुए अपीलार्थी को उचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:56:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

मूल्य दुकान उपरला मे राशन डीलर के रिक्त पद पर नियुक्ति दिये जाने का आदेश फरमावे।

5. उतरदाता संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उचित मूल्य दुकान उपरला के आंवटन हेतु तहसील स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 29.07.2025 को जिला रसद कार्यालय में आहूत की गई। उक्त बैठक में राज्य सरकार के तीनो सदस्यों द्वारा आवेदन ओमप्रकाश के पक्ष में मत अभिमत किया गया तथा सदस्य संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच एवं आवंटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष जिला रसद अधिकारी द्वारा आवेदक सरस्वती की अनुशंषा की गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु जारी दिशा–निर्देश दिनांक 17.03.2016 के अनुसार बिन्दु संख्या 4 (ख) अनुसार द्वितीय वरीयता (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर) आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा किसी पात्र व्यक्ति/संस्था का चयन बहुमत पर किया जायेगा। आवेदक सरस्वती द्वितीय वरीयता के क्रम 1 (ii) (ग) की श्रेणी मे होने के कारण एवं विभागीय दिशा निर्देशानुसार इस कार्यालय के आदेश प. 15(24)(2)रसद/2025/696 दिनांक 10.10.2025 उचित मूल्य दुकान उपरला के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु आवेदक सरस्वती का चयन किया गया है।

6. इसके जवाब मे उतरदाता संख्या 02 की ओर से यह तर्क है कि जिला स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सभी आवेदनों एवं दस्तावेजों की नियमो के अनुसार जांच की गई तथा स्थानीय सरपंच एवं विभागीय अधिकारीयों की उपस्थिति मे विधिवत् साक्षात्कार आयोजित किया गया। जिला स्तरीय समिति द्वारा अभ्यार्थियों के वरीयता अंक नियमों के अनुसार जोडें गए, जिसमें मेरे प्राप्त अंक अ[illegible] से अधिक रहे। जिसमें मेरा चयन पूर्णतः योग्यता आ[illegible] आरक्षित न होने का तर्क भी अप्रासंगिक है, क्योंकि चयन [illegible]ल उच्च वरीयता परित्यक्ता के आधार पर किया गया है। अतः उपर्युक्त समस्ता तथ्यों, दस्तावेजों, विधिक

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:56:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

स्थिति एवं चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए अपीलकर्ता द्वारा अपील को निराधार, असत्य, तथ्यहीन एवं विधिक दृष्टि से अस्वीकृत किया जाकर जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी चयन आदेश प. 15(24)(2)रसद / 2025 / 696 दिनांक 10.10.2025 को यथावत बनाए रखने का आदेश फरमावे।

7. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि उचित मूल्य दुकान उपरला जो कि महिला हेतु पद आरक्षित नही होते हुए भी उतरदाता संख्या 02 के राजनैतिक प्रभाव में आकर अपीलकर्ता की उच्च योग्यता को दरकिनार करते हुए चयन आलौच्य आदेश दिनांक 10.10.2025 को पारित किया है जो कि प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इसके तर्क में उतरदाता संख्या 02 का कथन है कि जिला स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सभी आवेदनों एवं दस्तावेजों की नियमो के अनुसार जांच की गई तथा स्थानीय सरपंच एवं विभागीय अधिकारीयों की उपस्थिति मे विधिवत् साक्षात्कार आयोजित किया गया। जिला स्तरीय समिति द्वारा अभ्यार्थियों के वरीयता अंक नियमों के अनुसार जोडें गए, जिसमें मेरे प्राप्त अंक अपीलकर्ता से अधिक रहे। जिसमें मेरा चयन पूर्णतः योग्यता आधारित एवं विधिसम्मत है। पद आरक्षित न होने का तर्क भी अप्रासंगिक है, क्योकि चयन केवल उच्च वरीयता परित्यक्ता के आधार पर किया गया है। अतः उपर्युक्त समस्ता तथ्यों, दस्तावेजों, विधिक स्थिति एवं चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए अपीलकर्ता द्वारा अपील को निराधार, असत्य, तथ्यहीन एवं विधिक दृष्टि से अस्वीकृत किया जाकर जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी चयन आदेश प. 15(24)(2)रसद / 2025 / 696 दिनांक 10.10.2025 को यथावत बनाए रखने का आदेश फरमावे। उतरदाता संख्या 01 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उचित मूल्य दुकान उपरला के आंवटन हेतु तहसील स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 29.07.2025 को जिला रसद

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:56:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कार्यालय में आहूत की गई। उक्त बैठक में राज्य सरकार के तीनो सदस्यों द्वारा आवेदन ओमप्रकाश के पक्ष में मत अभिमत किया गया तथा सदस्य संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच एवं आवंटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष जिला रसद अधिकारी द्वारा आवेदक सरस्वती की अनुशंषा की गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु जारी दिशा–निर्देश दिनांक 17.03.2016 के अनुसार बिन्दु संख्या 4 (ख) अनुसार द्वितीय वरीयता (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर) आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा किसी पात्र व्यक्ति / संस्था का चयन बहुमत पर किया जायेगा। आवेदक सरस्वती द्वितीय वरीयता के क्रम 1 (ii) (ग) की श्रेणी मे होने के कारण एवं विभागीय दिशा निर्देशानुसार इस कार्यालय के आदेश प.15(24)(2)रसद / 2025 / 696 दिनांक 10.10.2025 उचित मूल्य दुकान उपरला के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु आवेदक सरस्वती का चयन किया गया है। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि तहसील स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 29.07.2025 को जिला रसद कार्यालय बैठक में राज्य सरकार के तीनो सदस्यों द्वारा आवेदन ओमप्रकाश के पक्ष में मत अभिमत किया गया तथा सदस्य संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच एवं आवंटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष जिला रसद अधिकारी द्वारा आवेदक सरस्वती की अनुशंषा की गई। इससे यह प्रतीत होता है चयन प्रक्रिया द्वारा अपीलकर्ता ओमप्रकाश के पक्ष मे तीन सदस्यों की ओर से अभिमत किया गया एवं उतरदाता संख्या 02 के पक्ष में 2 सदस्यों की ओर से अभिमत किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण मे अपीलार्थी को तहसील स्तरीय बैठक दिनांक 29.07.2025 में सदस्यों द्वारा अभिमत के आधार पर [illegible] आदेश निरस्त योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त [illegible] एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत य[illegible] प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा आदेश प.

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:56:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

15(24)(2)रसद/2025/696 दिनांक 10.10.2025 उचित मूल्य दुकान उपरला के लिए चयन निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवश्यक जांच एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का समग्र विवेचन कर पुनः नये सिरे से कार्यवाही करें।

आदेश आज दिनांक 17.12.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:56:52 IST
Reason: SelfAttested